भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2905

(जिसका उत्तर मंगलवार, 29 मार्च, 2022 को दिया गया)

नई कंपनियों को प्रोत्साहन

2905. श्री नीरज डांगी:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी पंजीकृत कंपनियां व्यवसाय से बाहर हो गई हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में नई कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख): इस अधिनियम की धारा 248(1) के उपबंधों के अनुसरण में, जब कभी भी रजिस्ट्रार को यह विश्वास करने का उपयुक्त कारण हो कि कंपनियां ठीक दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों से किसी प्रकार का व्यवसाय या प्रचालन नहीं कर रही हैं तथा उन्होंने धारा 455 के अंतर्गत एक निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के दौरान कोई आवेदन नहीं किया है, तो वह विधि की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, कंपनियों के रजिस्टर से उन कंपनियों का नाम हटा देगा।

अवधि	अधिनियम की धारा 248(1) और 248(2) के तहत कंपनियों के रजिस्टर से हटाई गई कंपनियां	परिसमाप्त/विघटित कर दी गई कंपनियां
विगत तीन वर्षों के दौरान (2018-19 से 2020-21)	2,13,359	586

(ग)(i): एजाइल प्रो-एस नामक एक संबद्ध फॉर्म सहित स्पाइस+ नामक एक नया वेब फॉर्म संस्थापित किया गया है जिसमें केंद्र सरकार के तीन मंत्रालयों नामतः कारपोरेट कार्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग, तीन राज्य सरकारों (महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और विभिन्न बैंकों के माध्यम से एकल एकीकृत वेब फॉर्म के माध्यम से व्यवसाय आरंभ करने के संबंध में ग्यारह सेवाएं नामतः (क) नाम आरक्षण, (ख) निगमन, (ग) पैन, (घ) टैन, (ङ) डिन, (च) ईपीएफओ पंजीकरण, (छ) ईएसआईसी पंजीकरण, (ज) जीएसटी नंबर, (झ) बैंक अकाउंट नंबर, (ञ) पेशा कर पंजीकरण [(मुंबई, कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल (कोलकाता)], दिल्ली दुकान एवं स्थापना पंजीकरण उपलब्ध हैं।

(ii) पंद्रह लाख तक की प्राधिकृत पूंजी अथवा 20 सदस्यों वाली सभी कंपनियों के निगमन हेतु शून्य शुल्क प्रभारित किया जा रहा है, जहां कोई शेयर पूंजी प्रयोज्य नहीं है।

(iii) केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) की स्थापना एक दिन के भीतर कंपनियों एवं सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) के नाम आरक्षण और निगमन की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने के लिए की गई है, जबकि पूर्व में इसमें कम से कम 15-20 दिन की औसत अवधि लगती थी।

(iv) इसके अलावा, कंपनी निगमन प्रक्रिया की तर्ज पर, एफआईएलएलआईपी नामक एलएलआईपी निगमन फॉर्म सीबीडीटी के साथ एकीकृत भी कर दिया गया है ताकि एलएलपी के निगमन के समय ही पैन/टैन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। अब, एलएलपी के लिए निगमन प्रमाणपत्र में पैन तथा टैन शामिल हैं जिसे सीबीडीटी द्वारा आबंटित किया जाता है।

(v) मंत्रालय अपेक्षाकृत एक नए पोर्टल नामतः एमसीए21 संस्करण 3.0 में माइग्रेट करने की ओर भी अग्रसर है। इस नए संस्करण से प्रौद्योगिकी का स्तरोन्नयन होगा जिससे अनुपालन बोझ कम होगा। अनुपालन बोझ में सुधार लाने वाले कुछ परिवर्तन निम्नलिखित हैं:-

- संलग्नक की अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया गया है, जहां कहीं भी संभव हो
- वी3 में सभी फॉर्म वेब आधारित होंगे और इससे डायनेमिक फील्ड वैधीकरण तथा तीव्र गति से प्री-फिल की सुविधा उपलब्ध होगी।

(vi) इसके अलावा, इस मंत्रालय ने सरलतापूर्वक व्यवसाय करने तथा जीवन यापन को सुगम बनाने हेतु निम्नवत अनेक कदम भी उठाए हैं जिससे देश में कानून का पालन करने वाले कारपोरेटों के लिए विभिन्न प्रकार का अनुपालन बोझ भी कम हुआ है:-

(क) कंपनी अधिनियम के तहत धाराओं को अपराधमुक्त करना:- कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आने वाले 46 शास्ति उपबंधों को अपराधमुक्त बनाया गया, इस तरह अपराधमुक्त बनाई गई धाराओं की संख्या 62 हो गई (जिसमें 2018 में अपराधमुक्त बनाए गए 16 उपबंध शामिल हैं)। कपट, धोखा या जनहित को क्षति वाले किसी घटक को शामिल नहीं करने वाली लघु प्रक्रियात्मक एवं तकनीकी चूकों के लिए शास्ति उपबंधों को अपराधमुक्त बनाने के अलावा, इसके तहत शास्ति की राशि की मात्रा को भी तर्कसंगत बनाया जाना भी शामिल था तथा ऐसी प्रत्याशा है कि इससे देश में सरलतापूर्वक व्यवसाय करने के माहौल में काफी सुधार होगा और दंड न्यायालयों और एनसीएलटी में नेमी स्वरूप के लंबित मामलों का बोझ कम होगा।

धाराओं को इस तरह से अपराधमुक्त किए जाने से व्यवसाय के सामान्य क्रम में सूक्ष्म तथा लघु, मध्यम व्यवसाय उद्यमों तथा गैर-महत्वपूर्ण लघु एवं प्रक्रियात्मक भूल-चूकों के लिए दांडिक अभियोजनों के भय से मुक्ति मिलेगी और इससे सूक्ष्म तथा लघु, मध्यम व्यवसाय उद्यमों को कंपनियों के रूप में निकाय कारपोरेटों में संपरिवर्तित होने का प्रोत्साहन मिलेगा तथा इससे ईमानदार धन सृजकों को बेहतर सुगमता प्रदान करने और अधिकतम सम्मान प्रदान करने संबंधी सरकार के रूख पर भारतीय कारपोरेटों का विश्वास काफी अधिक बढ़ जाएगा एवं न्याय प्रणाली पर बोझ कम होगा।

(ख) अधिनियम की धारा 446 ख - लघु कंपनियों, ओपीसी, स्टार्ट-अप्स, उत्पादक कंपनियों आदि के लिए अपेक्षाकृत कम शास्तियां :- कंपनी अधिनियम, 2013 के किन्हीं उपबंधों के गैर-अनुपालन हेतु कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से लघु कंपनियों/एकल व्यक्ति कंपनियों/स्टार्ट अप्स/उत्पादक कंपनियों या इसके किसी चूककर्ता अधिकारी अथवा ऐसी कंपनी के संदर्भ में कोई अन्य व्यक्ति के प्रति कम शास्ति का प्रावधान किया गया है जिसका निपटान इन-हाउस न्याय-निर्णयन तंत्र (आईएएम) द्वारा किया जाता है। इससे व्यवसाय के संचालन में आने वाली लागत कम होगी।

(ग) आरक्षित नामों के नवीकरण हेतु अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया : इस मंत्रालय ने कंपनी (निगमन) तृतीय संशोधन नियम, 2020 के माध्यम से दिनांक 24.12.2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.(अ) 795 के तहत www.mca.gov.in पर उपलब्ध एक सरल वेब सेवा के माध्यम से कतिपय मामलों में नाम के आरक्षण में समयावधि में विस्तार का प्रावधान किया है। 20 दिनों की अवधि के बाद कंपनी के नामों के नवीकरण हेतु एक ढांचे का प्रावधान करने हेतु नियम संशोधित किए गए हैं ।

(घ) एकल व्यक्ति कंपनियां :- एकल व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) के निगमन एवं कार्यकलापों से संबंधित उपबंधों में महत्वपूर्ण रूप से संशोधन किया गया है ताकि अपेक्षाकृत अधिक एकल व्यक्ति कंपनियों के निगमन को प्रोत्साहित किया जा सके। अब, गैर-निवासी भारतीयों को भी एकल व्यक्ति कंपनियों के निगमन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। पूर्व में, केवल भारतीय निवासी नागरिकों को ही ऐसी अनुमति प्राप्त थी। अब, ऐसी कंपनियों को किसी भी समय निजी या सार्वजनिक कंपनियों में संपरिवर्तित किए जाने की अनुमति है। एकल व्यक्ति कंपनियों के लिए प्रदत्त पूंजी एवं टर्न ओवर की अधिकतम मात्रा के संबंध में प्रतिबंध भी हटा दिया गया है ताकि एकल व्यक्ति कंपनियों की संवृद्धि में किसी प्रकार का अनुचित अवरोध न हो।

(ङ) छोटी कंपनियां:- "लघु कंपनियों" के संदर्भ में अधिकतम निर्धारित सीमा भी संशोधित कर दी गई है ताकि कम से कम दो लाख और अधिक कंपनियां "लघु कंपनियों" के रूप में वर्गीकृत हो सकें और वे कंपनी अधिनियम, 2013 एवं इसके अतंर्गत बनाए गए नियमों के तहत उपबंधित आसान अनुपालन ढांचे का लाभ उठा सकें (प्रदत्त शेयरपूंजी के संदर्भ में सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये और टर्न ओवर के संदर्भ में 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी गई है)।

(च) सूचीबद्ध कंपनियों की परिभाषा में संशोधन :- दिनांक 19.02.2021 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. (अ) 123 के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनियों के कतिपय वर्ग को सूचीबद्ध कंपनी की परिभाषा से बाहर निकाल दिया गया है। एतदपश्चात, प्राइवेट कंपनियां, जो स्टॉक एक्सचेंजों पर ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने का विकल्प चयन करती हैं, से अनुपालनों को पूरा किया जाना अपेक्षित नहीं है, जैसा कि सूचीबद्ध कंपनियों से अपेक्षित है तथा तद्नुसार ऐसी कंपनियों के लिए अनुपालन बोझ कम कर दिया गया है।

(छ) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विलयनों हेतु फास्ट ट्रैक प्रक्रिया की समयावधि बढ़ा दी गई है ताकि अन्य स्टार्ट-अप्स एवं लघु कंपनियों के साथ स्टार्ट-अप्स के विलयनों को भी शामिल किया जा सके जिससे कि ऐसी कंपनियों के लिए विलयनों एवं समामेलनों की प्रक्रिया तीव्र गति से पूरी हो सके।

(ज) स्वतंत्र निदेशकों पर अनुपालन बोझ कम करने के लिए नियम संशोधित किए गए।

(झ) कंपनियों के लिए सिर्फ एक पूर्ववर्ती विशेष संकल्प पारित किया जाना पर्याप्त बनाने हेतु नियम संशोधित किए गए ताकि वर्ष के दौरान प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं के लिए किन्हीं प्रतिभूतियों की पेशकश या उन्हें आमंत्रित किया जा सके जिससे कि कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने का बोझ कम हो सके।

(ञ) डीमेट फॉर्म में धारित लघु-शेयरधारिता की खरीद को संभव बनाने हेतु नियम संशोधित किए गए।

(ट) उस सीमा तक समय-सीमा में कमी करना, जहां तक राइट्स इशू खुले रखे जाने अपेक्षित हों।

(ठ) लघु कंपनियों तथा एकल व्यक्तियों कंपनियों (ओपीसी) के लिए लागू वार्षिक रिटर्न का नया संक्षिप्त एवं लघु संस्करण।

(ड) किसी निजी कंपनी के किसी प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन की अपेक्षाकृत आसान प्रक्रिया।

(ढ) कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2021 के तहत एसएमसीज की परिभाषा में संशोधन :- कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2021 दिनांक 23.06.2021 को अधिसूचित किया गया है ताकि कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 (कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचित) को प्रतिबिंबित किया जा सके जिससे कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत इसे लाया जा सके। उक्त नियम से लेखांकन मानकों की प्रयोज्यता हेतु लघु एवं मध्यम आकार की कंपनियों की परिभाषा में भी संशोधन किया गया जिसके तहत टर्न-ओवर सीमा पचास करोड़ रुपये से बढ़ाकर अधिकतम ढाई सौ करोड रुपए कर दी गई है और उधार की सीमा 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दी गई है (अधिसूचना सं. सा.का.नि. 432(अ), 23.06.2021)। ऐसे संशोधन का उद्देश्य अनुपालन बोझ तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपेक्षित समयावधि को कम करना है। कई वर्षों से सीमा में संशोधन नहीं किया गया था और अर्थव्यवस्था की समग्र संवृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया था कि सीमा बढ़ाई जाए। इस अधिसूचना के परिणामस्वरूप, बहुत अधिक संख्या में कंपनियां एसएमसी कंपनियों की परिभाषा में कवर हो जाएंगी और एएस-3 नकद प्रवाह विवरण, एएस-17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, एएस-15 कर्मचारी हितलाभों, इत्यादि जैसे विभिन्न लेखांकन मानकों के तहत अपेक्षित विस्तृत प्रकटनों के अनुपालन से इन्हें छूट एवं रियायत प्राप्त होगी।

*****